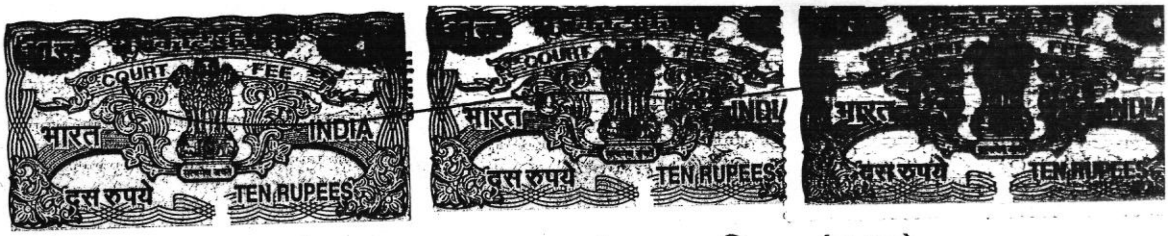

माननीय न्यायालय मध्य प्रदेश राजस्व मण्डल संभाग ग्वालियर (म0प्र0)

प्रकरण क्रमांक– /2017 रिवीजन

33

PBR/निगरानी/ग्वालियर/भू.रा./2017/2960
दिनांक 29.8.17 को
श्री [illegible] कर्ता [illegible]
द्वारा प्रस्तुत।
29.8.17

चिरोजी पुत्र छोटा बघेल
निवासी– ग्राम सिमरिया ताल
तहसील डबरा जिला ग्वालियर
म.प्र.

...... रिवीजन कर्ता/प्रार्थी

बनाम

मध्य प्रदेश शासन

....प्रतिरिवीजनकर्ता/प्रतिप्रार्थी

रिवीजीन अन्तगर्त धारा–44 म0प्र0 भूराजस्व सहिता 1959 विरूद्ध न्यायालय अंपरा आयुक्त ग्वालियर के प्र.क्र.–408/15–16 अपील व उनमान चिरोजी अपीलान्ट बनाम म.प्र.शासन में पारित आदेश दिनांक–31/05/2017 एवं अनुविभागीय अधिकारी डबरा के प्र.क्र.–65/2013–14 अपील में पारित आदेश दिनांक–29/10/2014 से दुखित होकर प्रस्तुत की जा रही है।

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक पीबीआर/निग/ग्वा./भू.रा./17/2960 **जिला ग्वालियर**

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
7.9.2017	उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 31–5–17 की सत्यप्रतिलिपि का अवलोकन किया गया । अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट निष्कर्ष निकालते हुये अपील निरस्त की गई है कि आवेदक को विधिवत् सूचना तामील कराई गई है और सूचना उपरांत भी आवेदक के अनुपस्थित रहने के कारण अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण किया गया है । आवेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया गया है कि प्रश्नाधीन भूमि पर उसके द्वारा अतिकमण नहीं किया गया है और वह उसके स्वामित्व की भूमि है जो कि अपने स्थान पर पूर्णतः विधिसंगत निष्कर्ष है। अतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	